

FORM 'A 2'
ACKNOWLEDGEMENT
{See Clause 8(3)}



Letter No - 30को0/ जैव0 अनु0- 06/2012 364 /Agri., Patna, Dated 31/05/2019
Received from M/s Khistiz Agro tech Pvt. Ltd. a complete Memorandum of Intimation along with form 'O' fee of Rs. 2250 by Treasury Challan bearing number CH- 12 dated 22-01-2019 deposited in State Bank of India Baily Road , Patna.

1. This acknowledgement shall be deemed to be the letter of authorization entitling the applicant to carry on the business as applied for, (as mentioned in table below), for a period till 02-11-2021 unless suspended or revoked by the competent authority.

Dated.....

Sd/-
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
Date.....

MOI ACKNOWLEDGEMENT No- 109(R)

DESCRIPTION OF THE PLACE AND TYPE OF BUSINESS

Name and style by which the business is carried on	Location of sale depot	Location of godowns attached to sale depot	Type of Fertilizer	Source of Supply
1	2	3	4	5
M/s Khistiz Agro tech Pvt. Ltd. Style- Wholesale Dealer	Vill- Nehusa, Block- Harnout, Distt- Nalanda (Bihar)	Vill- Nehusa, Block- Harnout, Distt- Nalanda (Bihar)	1-Azotobactor 2-Rhizobium 3-Azosprillium 4- PSB	Self Manufactured Do

Name and address of responsible person under clause 24 of FCO 1985:

Mr. Ritesh Kumar Sinha
M/s Khistiz Agro tech Pvt. Ltd.
Priyadarshi Nagar, Rupaspur Thana More,
West Bailey Road, Patna- 801503 (Bihar)

3
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna
/Agri., Patna, Dated 31/05/2019

Memo No. 364

Copy forwarded to All Joint Directors of Agriculture & District Agriculture Officers for kind information and necessary action.

3
29.05.19
Director of Agriculture-cum-
Notified Authority (Fertilizer), Bihar, Patna

Amit Kr. Rajendra Kr. Verma
Assistant Dy. Dir.(Agro)

Dr. Brejesh kumar
Joint Dir. (Agro) Crop & Farm

246
273

कृषि/निदेशालय, बिहार, पटना

उर्वरक कोषांग।

पत्र संख्या- उ0को0/ जैव अनु0- 06/12

365

/क०, पटना, दिनांक 31/05/2019

कार्यालय आदेश

मे0 क्षितिज एग्रो टेक प्रा0 लि0 के विपणन प्राधिकार पत्र संख्या. 109(R) दिनांक 02.05.2016 वैधता तिथि 03.11.2018 को दिनांक 02.11.2021 तक के लिए नवीकृत किया जाता है। इस सन्दर्भ में निम्न निदेश दिए जाते हैं :-

1. आपके द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश के संगत धाराओं का अनुपालन किया जाएगा।
2. आपके बफर गोदाम के भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।
3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।
4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।
5. बिहार राज्य में विपणन करने के पूर्व जिला कृषि पदाधिकारी से उर्वरक नमूनों की जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

यदि उपरोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उर्वरक परिचालन नियंत्रण आदेश, के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।
अनुलग्नक : पत्रांक 1068 दिनांक 03.09.10 की प्रति।

विश्वासभाजन

3

ज्ञापांक : 365

दिनांक :

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

31/05/2019

प्रतिलिपि : सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी संयुक्त कृषि निदेशक, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिष्ठान द्वारा उत्पादित उर्वरक का नमूना लेकर जाँच कराना एवं गुणवत्ता विश्लेषण प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3

ज्ञापांक : 365

कृषि निदेशक, बिहार, पटना

दिनांक : 31/05/2019

प्रतिलिपि:- मे0 क्षितिज एग्रो टेक प्रा0 लि0, ग्राम- नेहुसा, ब्लॉक- हरनौत, जिला- नालंदा, (बिहार) को सूचनार्थ प्रेषित।

3
29.05.19

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Amish

(अमित)
सहायक

Bhar

(राजेन्द्र कुमार वर्मा)
उप निदेशक(शष्य)

365

(डा0 ब्रजेश कुमार)
संयुक्त निदेशक (शष्य),